राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	सत्येन्द्र प्रकाश बनाम महेन्द्र प्रकाश 530/2019 हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
29/10/25	पत्रावली प्रस्तुत हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। अधिवक्ता रेस्पो. की बहस पूर्व में सुनी जा चुकी है। अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपनी लिखित बहस पेश कर लिखित बहस को ही उनकी बहस माने जाने का निवेदन किया। अत: पत्रावली निर्णय हेतु रिजर्व की जाती है। पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 06/11/2025 को पेश हो। राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	
	आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि रेस्पो. संख्या 1 व 2 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत विभाजन एवं स्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 07/01/2015 पारित करते हुये तहसीलदार जयपुर को कुर्रेजात रिपोर्ट तलब किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये, जिसकी पालना में कुर्रेजात रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रेषित किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अन्तिम निर्णय व डिक्री दिनांक 19/03/2015 पारित की गयी। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अन्तिम निर्णय व डिक्री दिनांक 19/03/2015 से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा इस न्यायालय के समक्ष यह अपील प्रस्तुत की गयी है। अधिवक्ता रेस्पो. की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी एवं अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपनी लिखित बहस को ही उनकी बहस माने जाने का निवेदन किया।	
	अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 19/03/2015 के विरुद्ध इस न्यायालय के समक्ष यह अपील मय प्रार्थना पत्र धारा 12 सपठित धारा-5 मियाद अधिनियम को दिनांक 10/10/2019 को करीबन 4 वर्ष 7 माह की देरी से प्रस्तुत की गयी है एवं इतनी लम्बी देरी को कन्डोन करवाने हेतु अंकित तथ्य सरसरी तौर पर ही अंकित किये गये है, जो स्वीकार योग्य जाहिर नही होते है। इसके अतिरिक्त गुणावगुण के सन्दर्भ में उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का मय अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अवलोकन किये जाने से यह स्पष्ट होता है कि सुयोग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा समस्त विधिक प्रक्रियाओ की अनुपालना करते हुये तथ्यों का समुचित परिक्षण कर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित किये है, जिसमे कोई तथ्यात्मक एवं विधिक त्रुटी जाहिर नही होती है। अत: अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 19/03/2015 यथावत रखे जाकर राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

सत्येन्द्र प्रकाश बनाम महेन्द्र प्रकाश

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व अहकाम व हुक्म की ता... में जारी हु...
	अपील अपीलार्थी मियाद बाहर धारित कर एवं उसमे गुणावगुण पर भी बल नही होने से ख़ारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 06/11/2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	